[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 27/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडाइन रबर" जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 सितंबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 4 सितंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/5/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 सितंबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 4 सितंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोरिया गणराज्य के सदर्भ में इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 3 दिसंबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा ।"।

[फाइल संख्या 354/101/2020-टीआरयू]

ज. स. कंधारी

(जैनेंद्र सिंह कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 46/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 सितंबर, 2015 सा.का.नि. संख्यांक 675(अ) दिनांक 4 सितंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।